छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) पिन– 492001
फोन नंबर :– 0771 – 4918927
Email - office.rera.cg@gov.in, website- https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक : 41 / रेरा / 2020 / 534 रायपुर, दिनाँक 02/05/2020

/ / परिपत्र / /

विश्व स्वास्थय संगठन द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है तथा कोविड–19 के प्रसार को रोकथाम हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में प्राधिकरण द्वारा रियल एस्टेट सेक्टर में आर्थिक दुष्प्रभावों को कम करने तथा कोरोना वायरस के रोकथाम में राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य हेतु परिपत्र क्रमांक 40 / रेरा / 2020 / 520 दिनांक 20.04.2020 के द्वारा कार्यपूणता एवं त्रैमासिक अद्यतन हेतु समयसीमा में वृद्धि किया गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा 17 मई, 2020 तक पुनः लॉकडाउन का विस्तार किया गया है। कोविड–19 के संक्रमण व प्रसार के कारण रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का नियमित विकास कार्य विपरीत रूप से प्रभावित है और प्रोजेक्ट्स की पूर्णता में अतिरिक्त समय लगना स्वाभाविक है। अतः भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 6 के प्रावधान अनुसार 1 मई 2020 से 31 मई 2020 तक पूर्ण होने वाले प्रोजेक्ट्स की रजिस्ट्रेशन अवधि का 30 जून 2020 तक विस्तार किया जाता है।

(माननीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित)

02/5/2020

(डॉ. अनुप्रिया मिश्रा)
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर